Case No. 446 /2023

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल. सं. NCST/SER-500/MP/8/2022-RO-BH

श्रीमती रश्मि अरूण शमी
प्रमुख सचिव,स्कूल शिक्षा विभाग,
मध्य प्रदेश शासन
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल -462004 (मध्य प्रदेश)
फोन :- 0755-2708727

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क केअंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 11.05.2023 को 04:00 PM** आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:- स्व श्री मोतीलाल भैना, अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, सेमरवार संकुल केंद्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्या जैतहरी, जिला- अनूपपुर (म.प्र.) की पुत्री को अनुकंपा के आधार पर नौकरी न देने के संबंध में :- कुमारी खुशबू भैना, पिता स्वर्गीय श्री मोतीलाल भैना का दिनांक 24.06.2022 का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ : आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 22.07.2022.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **02.05.2023** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

2/5/23
हस्ताक्षर
Court Officer न्यायालय अधिकारी
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES